



# पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

टावर-4, 8वाँ तल, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ - 226002

e-mail : tshq@up.nic.in

पत्र सं०: टीएस-सीसीटीएनएस-47/2011

दिनांक: दिसम्बर 06, 2019

## ::कार्यालय ज्ञापः

सीसीटीएनएस योजना को वर्ष 2011 में राज्य, जनपद, थाने पर साफ्टवेयर, कनेक्टिविटी तथा नेटवर्किंग के द्वारा अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचनाओं को साझा तथा एकत्रित करने एवं विश्लेषण हेतु प्रारम्भ किया गया है। योजना में समय-समय पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत नए प्रायोगिक तरीके से और अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस के सफल क्रियान्वयन में विभिन्न कार्यों की समीक्षा हेतु एसपीएमयू तथा तकनीकी सेवाएं की संयुक्त निम्न टीम का गठन किया गया है:-

क्रम	पद नाम अधिकारी
1	श्री गिरीश चव्हाण, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (एसपीएमयू), Ernst & Young, (Consultant) मोबाइल नम्बर 9833727280
2	श्री रितेश श्रीवास्तव, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (एसपीएमयू), Ernst & Young, (Consultant) मोबाइल नम्बर 9935554496
3	श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड-2, सीयूजीन0-7839858257 मोन0-9415983724
4	श्री आशीष जायसवाल, प्रोग्रामर ग्रेड-2, मो0 नं0-9889588979 7007880266

2- इस मुख्यालय द्वारा उपरोक्त टीम जनपदों में थानों का समय-समय पर सुविधानुसार कार्यों की समीक्षा हेतु भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यक्रम का त्रैमासिक प्लान तैयार कर लिया जाय। भ्रमण से दो दिवस पूर्व भ्रमण की संलग्न विवरण को समाहित करते हुए विस्तृत कार्ययोजना सहित भ्रमण कार्यक्रम तैयार किया जाय। भ्रमण हेतु प्रस्थान से पूर्व सूचना/औपचारिक सूचना भ्रमण के नियत स्थान एवं इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय। भ्रमण के पश्चात आख्या प्रस्तुत की जाय।

3- जनपद प्रभारी उक्त टीम के अपेक्षित सहयोग प्रदान करें, जिसमें सीसीटीएनएस सम्बन्धित सेवायें को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(असीम अरुण)

अपर पुलिस महानिदेशक,  
पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,  
उत्तर प्रदेश

(फोन: 9454400175)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
4. उपरोक्त टीम को अनुपालनार्थ।

## -भ्रमण हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु-

1. सीसीटीएनएस में अधिष्ठापित समस्त हार्डवेयर की स्थिति।
2. सीसीटीएनएस में अधिष्ठापित कनेक्टिविटी की स्थिति।
3. CCTNS CAS 24 FORMS की फीडिंग की स्थिति।
4. सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत विवेचना के डिजिटाइजेशन की स्थिति, उपलब्ध कराये जा रहे बजट के सदुपयोग की स्थिति।
5. सीसीटीएनएस के अतिरिक्त प्रचलित अन्य ऐप्प के क्रियान्वयन एवं निस्तारण की स्थिति।
6. वेब-पोर्टल पर ऑन-लाइन विभागीय पोर्टल, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही नागरिक सुविधाओं के क्रियान्वयन एवं निस्तारण की स्थिति।
7. UPCOP Mobile app ऐप्प में आम नागरिकों के प्रयोगार्थ समस्त सुविधाओं के क्रियान्वयन एवं निस्तारण की स्थिति।
8. कम्प्यूटरीकृत एफ0आई0आर0, जी0डी0, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट इत्यादि कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज किये जाने की स्थिति।
9. अपराधों में *latitude and longitude* दर्ज किये जाने की स्थिति।
10. e-FIR सुविधा।
11. CCTNS के पर्यवेक्षण व अनुश्रवण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से ऐसे प्रत्येक मामलों में 31, 40, 50, 55, 60 दिन पर SMS भेजा जाना।
12. 11 डाटा बैंक सर्विसेज की फीडिंग।
13. 16 अतिरिक्त फार्मों की फीडिंग।
14. e-Court, e-Prison, e-Prosecution पर कार्य की स्थिति।
15. जनपदों में उपलब्ध डीटीसी में प्रशिक्षण की स्थिति व गुणवत्ता।
16. नगरीय व देहात क्षेत्र के कम से कम 3 थानों में दर्ज किये जा रहे एफआईआर में सम्पूर्ण सूचना जैसे- अपराध विवरण, केस डायरी, सम्पती जप्ती, नक्सा नजरी, केस में काटे गये सभी पर्चे, गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट व अन्य सूचनाओं को अंकित किये जाने स्थिति ज्ञात कराना।
17. थाना स्तर पर सीसीटीएनएस क्रियान्वयन में आ रही समस्या को सर्व प्रथम हेल्पडेस्क पर पंजीकृत कराये जाने की स्थिति व हेल्पडेस्क द्वारा निवारण की स्थिति।
18. उपलब्ध जनशक्ति का सीसीटीएनएस में उपयोगिता की स्थिति।